

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेन्द्र सिंह तोमर 2 वर्तमान धारित पद उप-संचालक अभियोग/विधिअधिकाारी
 3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1. जुलाई 2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला बस्पाही तहसीली ग्राम देवाडा	ग्राम देवाडा में तीन प्रकार (i) कच्चा (ii) पक्का (iii) पक्का 2100 वर्ग मीटर में सरदार पटेल मार्ग शालीन (iv) में एक कच्चा भवन 1100 वर्ग मीटर में (ग्राम की बगल में)	ग्राम देवाडा में संयुक्त परिवार के नाम से खेती की भूमि 55 बीघर (जो शासकीय एवं उ अन्तर्गत है) के साथ साथ के नाम से है।	हाथी भूमि का मूल्य 5000 रूपये के साथ साथ के भू मूल्य 15 लाख के साथ साथ के नाम से है।	संयुक्त परिवार	पैट्टेक सम्पत्ति	हाथी भूमि लगभग 5 लाख रु.	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अचल सम्पत्ति) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नहीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उत्तरे द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर राजेन्द्र सिंह तोमर 6.1.2016
 नाम : राजेन्द्र सिंह तोमर
 पद : विधिअधिकाारी/उप-संचालक अभि.